राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 706वी बैठक दिनांक 16.02.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 706वी बैठक दिनांक 16.02.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
A. SEAC से अनुशंसित प्रकरण : (सरल क्र. 1 से 23)					
1.	8891 / 2021	1(a) B-2	फर्शी पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	8892 / 2021	1(a) B-2	फर्शी पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	8893 / 2021	1(a) B-2	फर्शी पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
4.	8898 / 2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
5.	8899 / 2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	8839 / 2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
7.	8757 / 2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
8.	8745 / 2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
9.	8801 / 2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	8895 / 2021	1(a) B-2	मिट्टी / मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
11.	8896 / 2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
12.	7661 / 2019	5(f) B-1	Manufacturing of Opium & Alkaloids	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
13.	8810 / 2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
14.	7817 / 2021	5(f) B-1	Manufacturing of Resin & other Edible/Non Edible product	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	8811 / 2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	8764 / 2021	1(a) B-2	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त	निरस्त
17.	8807 / 2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
18.	8847 / 2021	1(a) B-2	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त	निरस्त
19.	8836 / 2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
20.	8770 / 2021	1(a) B-2	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
21.	8838/2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
22.	8741 / 2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

23.	8805/2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	ToR स्वीकृति	ToR स्वीकृत
B. Query Response / Bank Guarantee Release/EC transfer **के प्रकरण : (सरल क्र. 24 से 28)**					
24.	5751/2018	8(a) B-2	भवन निर्माण	.	Release of Bank Gurantee
25.	8451/2021	5(f) B-2	Manufacturing of Bulk Drug & API	.	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित
26.	8336/2021	8(a) B-2	भवन निर्माण	.	निरस्त
27.	8535/2021	5(f) B-2	Manufacturing of Bulk Drug & API	.	निरस्त
C. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा					
28.	7875/2020	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत

1. **प्रकरण क्र. 8891/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री हरि सिंह गौड़ आत्मज श्री विशाल सिंह गौड़ निवासी सोनाई, तहसील– पवई, जिला– पन्ना (म.प्र.)–488446 द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 400, 405, 416, ग्राम – जुडा, तहसील– पवई, जिला –पन्ना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 544वी बैठक दिनांक 28.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 544वी बैठक दिनांक 28.01.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **कार्यालय वन मंण्डलाधिकारी पन्ना के पत्र क. 6012 दिनांक 20.10.2016 के अनुसार प्रस्तावित खनन क्षेत्र वन क्षेत्र सीमा सें 35 मीटर की दूरी पर स्थित है। अतःसंभागीय आयुक्त सागर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 29.07.2021 की अनुशंसा एवं SEAC की अनुशंसा अनुसार खदान के सीमांकन कार्य संबधित वन मण्डलाधिकारी व राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में किया जायें तथा वन क्षेत्र सीमा से 80 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" छोड़ा जाये एवं सी.सी.टी.वी कैमरे लगाये जाये तथा ओवर वर्डेन वन क्षेत्र में इकट्ठा न किया जाये एवं चारो ओर स्टोन की दीवार व सिमेन्ट के पक्के मुनारे का निर्माण सुनिश्चित किया जाये ।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज पटटा क्षेत्र में जीवित पेड़ो को कटा नही जाये एवं उनका संरक्षण व रखरखाव किया जायें।**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

III. **प्रस्तावित खदान का लीज क्षेत्र दो भागों मे विभाजित है जिसकी आपस में दूरी 148 मीटर है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के दक्षिण भाग को "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा।**

IV. वृक्षारोपण कार्यो के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1500 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम जुडा की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्ठिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम जुडा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री हरि सिंह गौड़, आत्मज श्री विशाल सिंह गौड़ निवासी सोनाई, तहसील– पवई, जिला– पन्ना (म.प्र.)–488446 द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 400, 405, 416, ग्राम – जुडा, तहसील– पवई, जिला –पन्ना (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के आदेश क. 1317 दिनांक 05.10.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैंद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.10.2031 तक मान्य रहेगी।

2. **प्रकरण क्र. 8892/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती गीता पाण्डे पत्नी श्री अशोक कुमार पाण्डे निवासी रानीगंज मोहल्ला, तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.)–48801 द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.71 हेक्टेयर, खसरा 471, ग्राम – रानीपुर, तहसील व जिला –पन्ना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 544वी बैठक दिनांक 28.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक / पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 544वी बैठक दिनांक 28.01.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट एवं पक्की सड़क से 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304 / 2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **कार्यालय वन मंण्डलाधिकारी पन्ना के पत्र क. 6012 दिनांक 20.10.2016 के अनुसार प्रस्तावित खनन क्षेत्र वन क्षेत्र सीमा सें 0 मीटर की दूरी पर एवं पन्ना टाईगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन से 01 किमी. तथा पन्ना बायोस्फियर की सीमा के अंदर स्थित है। । अतःसंभागीय आयुक्त, सागर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 29.07.2021 में की गई अनुशंसा अनुसार खदान के सीमांकन कार्य संबधित क्षेत्र संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व / वन मण्डलाधिकारी व राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में किया जायें तथा वन क्षेत्र सीमा सें 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" एवं सी.सी.टी.वी कैमरे लगाये जाये तथा वन क्षेत्र में ओवर वर्डेन इकट्ठा न किया जाये एवं चारो ओर स्टोन की दीवार व सीमेन्ट के पक्के मुनारे का निर्माण सुनिश्चित किया जाये।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज पटटा क्षेत्र में जीवित पेड़ो को कटा नही जाये अपितु उनका संरक्षण व रखरखाव किया जायें।**

IV. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1000 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम रानीपुर के आगनवाड़ी केन्द्र की मरम्मत एवं रंग रोगन इत्यादि कार्य किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम रानीपुर में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान एवं मास्क व सेनीटाइजर वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती गीता पाण्डे पत्नी श्री अशोक कुमार पाण्डे, निवासी रानीगंज मोहल्ला, तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.)–48801 द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.71 हेक्टेयर, खसरा 471, ग्राम – रानीपुर, तहसील व जिला –पन्ना (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के आदेश क. 1221 दिनांक 27.09.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 26.09.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

3. **प्रकरण क्र. 8893/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव पाण्डे आत्मज श्री मदन मोहन पाण्डे, ग्राम कटरा सलेहा, तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म.प्र.)–488333 द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 149/2, 150/2, ग्राम – घुटेही, तहसील पवई, जिला पन्ना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 544वीं बैठक दिनांक 28.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 544वी बैठक दिनांक 28.01.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट एवं पक्की सड़क से 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **कार्यालय वन मंण्डलाधिकारी, दक्षिण वनमंडल, जिला पन्ना के पत्र क. 3011 दिनांक 26.06.2019 के अनुसार प्रस्तावित खदान वन सीमा से 68 मीटर की दूरी पर स्थित है। अतः संभागीय आयुक्त, सागर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 01.07.2021 की अनुशंसा एवं SEAC की अनुशंसा अनुसार वन क्षेत्र की सीमा की ओर पत्थर की दीवार का निर्माण कार्य वनमंडलाधिकरी के निर्देशन में किया जाये एवं ओवरबर्डन वन क्षेत्र में एकत्रित नही करेगा, सी.सी.टी केमरा स्थापित करेगा। खदान के सीमांकन का कार्य वनमंडलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एव खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जाये तथा लीज़ क्षेत्र का चारों ओर क्रांकीट के पक्के मुनारे बनायेगा।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज पटटा क्षेत्र में जीवित पेड़ो को कटा नही जाये एवं उनका संरक्षण व रखरखाव किया जायें।**

IV. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2000 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम घुटेही के आगनवाड़ी केन्द्र की मरम्मत एवं रंग रोगन इत्यादि कार्य किया जायेगा।
- ग्राम घुटेही में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान एवं मास्क व सेनीटाइजर वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव पाण्डे आत्मज श्री मदन मोहन पाण्डे, ग्राम कटरा सलेहा, तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म.प्र.)–488333 द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 149/2, 150/2, ग्राम – घुटेही, तहसील पवई, जिला पन्ना (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के आदेश क.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1256 दिनांक 30.09.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता दिनांक 29.09.2031 तक मान्य रहेगी।

4. प्रकरण क्र. 8898/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री गोकुल प्रसाद, ग्राम नरसिंहगढ़, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2647 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 33/2, 68, ग्राम – बरोडी, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 544वी बैठक दिनांक 28.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 544वी बैठक दिनांक 28.01.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिख़ित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट एवं पक्की सड़क से 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज पटटा क्षेत्र में जीवित पेड़ो को कटा नही जाये एवं उनका संरक्षण व रखरखाव किया जायें।**

IV. **खनन क्षेत्र के मध्य भाग मे पूर्व से ही खनन कार्य होना परिलक्षित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंद्ध किया गया है कि उक्त गडढ़ें पुराने है एवं उनके द्वारा ब्लास्टिंग नहीं किया जायेगा (रॉक ब्रेकर/जैक हेमर्स) का इस्तेमाल किया जायेगा।**

V. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1500 पौधों का प्रथम तीन

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम बरोडी प्राथमिक विद्यालय के भवन, शौचालय की मरम्मत पानी की टंकी की स्थापना फिटिंग के साथ किया जाये।
- ग्राम बरोडी में ग्रामवासियों को 02 सौलर लालटेन की व्यवस्था एवं कूड़ादान वितरण किया जाये।
- ग्राम नगर पचौर के शासकीय हाईस्कूल में 20 छायादार वृक्षों (कदम, कचनार, करंज, अर्जुन) का रोपण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री गोकुल प्रसाद, ग्राम नरसिंहगढ़, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2647 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 33/2, 68, ग्राम – बरोडी, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के आदेश क्र. 1420 दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09.11.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

5. प्रकरण क्र. 8899/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री लोकेश सिकरोदिया आत्मज श्री बाबूलाल सिकरोदिया, निवासी ओल्ड बस स्टैण्ड, वार्ड न. 14, तहसील पचौर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7056 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.88 हेक्टेयर, खसरा 54/2, ग्राम – नगर पचौर, तहसील पचौर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 544वी बैठक दिनांक 28.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 544वी बैठक दिनांक 28.01.2022 की अनुशंसा को राज्य

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 3000 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम नगर पचौर के शासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालय में स्पोर्टस किट, 01 कम्प्यूटर एवं पुस्तकालय के लिये 02 टेबिल प्रदान किया जाये।
- ग्राम नगर पचौर के शासकीय हाईस्कूल में 20 छायादार वृक्षों (कदम, कचनार, करंज, अर्जुन) का रोपण किया जाये।
- ग्राम नगर पचौर में ग्रामवासियों को 02 सौलर लालटेन की व्यवस्था एवं कूड़ादान एवं मास्क व सेनीटाइजर वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री लोकेश सिकरोदिया आत्मज श्री बाबूलाल सिकरोदिया, निवासी ओल्ड बस स्टैण्ड, वार्ड न. 14, तहसील पचौर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7056 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.88 हेक्टेयर, खसरा 54/2, ग्राम – नगर पचौर, तहसील पचौर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राजगढ़ के आदेश क्र. 1336 दिनांक 12.10.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता दिनांक 11.10.2031 तक मान्य रहेगी।

6. **प्रकरण क्र. 8839/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री सांवरिया माईनस, श्री पंकज पाटीदार आत्मज श्री कैलाशचन्द्र पाटीदार, 102, टिपुन टावर, स्कीम नं. 71, जिला इंदौर (म.प्र.)–453441 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 26025 व मुरूम 2049 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.416 हेक्टेयर, खसरा 998, 999/2, ग्राम – अम्बाचंदन, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

SEAC की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान के निकटतम पक्का रोड़ 42 मीटर पर स्थित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है। जिसे मान्य करने पर न्यूनतम उत्खनन क्षेत्र उपलब्ध न होने कि स्थिति होना **परिलक्षित है।**

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श कर सर्व सम्मति से उपरोक्त आदेश को मान्य करते हुये उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. **प्रकरण क्र. 8757/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री देवराज बोरबन आत्मज श्री अमरलाल बोरबन, निवासी–सातनेर, तहसील आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.)–460110 द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7056 घनमीटर प्रतिवर्ष, एरिया 1.00 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 32, ग्राम चारघाट, तहसील –आठनेर, जिला –बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 544वी बैठक दिनांक 28.01.2022 एवं 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **Stop Dam से 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष प्रस्तुत पत्र दिनांक 28.01.2022 के माध्यम से की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक कार्य प्रतिबंधित रहेगा।

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम चारघाट के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की मरंम्मत, पुताई व रंगरोगन का कार्य किया जाये एवं स्कूल में 10 बेंन्च 02 कुर्सी प्रदान की जाये।
- चारघाट ग्रामवासियों को सौलर लालटेन , कूड़ादान एवं मास्क व सेनीटाइजर वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री देवराज बोरवन आत्मज श्री अमरलाल बोरवन, निवासी–़ चारघाट, तहसील आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.)—460110 द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7056 घनमीटर प्रतिवर्ष, एरिया 1.00 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 32, ग्राम चारघाट, तहसील —आठनेर, जिला —बैतूल (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म म.प्र., भोपाल का पत्र क्रं. 1630—A दिनांक 21.01.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष हेतु सैद्वान्तिक सहमति प्राप्त है। अतः इस पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की दिनांक 20.01.2031 तक वैधतस मान्य रहेगी।

8. प्रकरण क्र. 8745/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री ऐलम सिंह दांगी आत्मज श्री बापूसिंह दांगी, निवासी–़ ग्राम खाईखेड़ा तहसील—श्यामपुर, जिला —सीहोर (म.प्र.)—466651 द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 10143 घनमीटर प्रतिवर्ष, एरिया 2.00 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 584/1/2, ग्राम खाईखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 544वी बैठक दिनांक 28.01.2022 एवं 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2400 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम खाईखेड़ा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण व रंगरोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम नगर पचौर के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 20 छायादार वृक्षों का रोपण किया जाये।
- खाईखेड़ा ग्रामवासियों को सौलर लालटेन, कूड़ादान एवं मास्क व सेनीटाइजर वितरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री ऐलम सिंह दांगी आत्मज श्री बापूसिंह दांगी, निवासी– ग्राम खाईखेड़ा तहसील–श्यामपुर, जिला –सीहोर (म.प्र.)–466651 द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 10143 घनमीटर प्रतिवर्ष, एरिया 2.00 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 584/1/2, ग्राम खाईखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के पत्र क. 1859 दिनांक 10.08.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैंद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09.08.2031 तक वैद्यता मान्य रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. प्रकरण क्र. 8801/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री मानवेन्द्र सिंह बुंदेला, आत्मज श्री जसवेनद्र सिंह बुंदेला निवासी खरगापुर किला, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.790 हेक्टेयर, खसरा 256, ग्राम – खरगापुर, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 544वी बैठक दिनांक 28.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 544वी बैठक दिनांक 28.01.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1900 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम **खरगापुर** के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 01 हैण्ड पंप सुरक्षा वाल एवं रिचार्ज पिट के साथ लगाने का कार्य किया जाये।
- ग्राम **खरगापुर** में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री मानवेन्द्र सिंह बुंदेला, आत्मज श्री जसवेन्द्र प्रताप सिंह बुंदेला, निवासी खरगापुर किला, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.790 हेक्टेयर, खसरा 256, ग्राम – खरगापुर, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म म.प्र., भोपाल का पत्र क्रं. 1629–A दिनांक 21.01.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैंद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 20.01.2031 तक वैधता मान्य रहेगी।

10. प्रकरण क्र. 8895/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बालवीर सिंह, कान्ट्रेक्टर, अधिकृत व्यक्ति, श्री ब्रज मोहन प्रताप सिंह,निवासी जिवाजीगंज मुरैना जिला – मुरैना (म.प्र.)–476001 द्वारा मिट्टी/मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 80000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 696/1/1, मिन–2 ग्राम कैथुली, तहसील भानपुर, जिला –मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यो के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2000 पौधों का प्रथम वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम कैथुली की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्ठिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम कैथुली, में ग्रामवासियों के लिये स्वास्थ शिविर एवं बीमार लोगो का उपचार करवाया जाये।
- ग्राम कैथुली में ग्रामवासियों के सहयोग से 500 फलदार पेड़ एवं चारागाह (संतरा, आवला, मुनगा, कटहल, पपीता आदि) पौधों का रोपण ग्राम वन समिति के माध्यम से कराया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बालवीर सिंह, कान्ट्रेक्टर, अधिकृत व्यक्ति, श्री ब्रज मोहन प्रताप सिंह,निवासी जिवाजीगंज मुरैना जिला – मुरैना (म.प्र.)–476001 द्वारा मिट्टी/मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 80000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 696/1/1, मिन–2 ग्राम कैथुली, तहसील भानपुर, जिला –मंदसौर (म.प्र.) की उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र. ग्रमीण सड़क विकास प्राधिकरण का पत्र क्रं. 1332 दिनांक 12.11.2021 के अनुसार उक्त खदान को 20 मार्च 2022 तक अस्थाई अनुज्ञा प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.03.2022 तक मान्य रहेगी।

11. प्रकरण क्र. 8896/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेश बावनकुड़े आत्मज श्री रतीरात बावनकुड़े, निवासी बी–1/16, आदित्य ब्रिज पार्क, बेलवाड़ी, जिला –पुणे (महाराष्ट्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.45 हेक्टेयर, खसरा 237, ग्राम लव्हाना तहसील –पांढुरना जिला –छिंदवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 4800 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम लव्हाना के शासकीय माध्यमिक स्कूल बिल्डिंग की रंग रोगन का कार्य किया जाये एवं खेल मैदान में फिसल पट्टी (फाईबर स्लाड) स्थापित की जाये।
- ग्राम लव्हाना की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्ठिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम कैथुली में ग्रामवासियों के सहयोग से 50 पेड़ (नीम, मौलसिरी, पुतरांजीवा, कदम, कचनार आदि) का रोपण ट्रीगार्ड के साथ स्कूल प्रांगण में किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री श्री भूपेश रतीराम बावनकुड़े आत्मज श्री रतीरात बावनकुड़े निवासी बी–1/16, आदित्य ब्रिज पार्क, बेलवाड़ी, जिला –पुणे़ (महाराष्ट्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.45 हेक्टेयर, खसरा 237, ग्राम लव्हाना तहसील –पांढुरना जिला –छिंदवाड़ा (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के पत्र क. 5509 दिनांक 04.10.2021 एवं पत्र क. 5629 दिनांक 26.10.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैंद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैद्यता दिनांक 03.10.2031 तक मान्य रहेगी।

12. **Case No. – 7661/2019 :** Prior Environment Clearance for Proposed Expansion in production capacity of life savingdrugs from the opium at Bungalow No. 57, Besides Ashish Bhavan Church, Tehsil & District.: Neemuch, MP Total Area: 57,000.0 sq.m. Production Capacity : 30.0 MT/Y (Existing : 8.4MT/Year Proposed : 21.6 MT/Y) by Government Opium &Alkaloid Works GOVERNMENT OPIUM AND ALKALOID WORKS MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE through GM Bungalow No. 57 Station Road, Neemuch, MP-458441 Email: gmopiumnmh@dataone.in Ph- 07423-227867 Mob : 9479884179 Env. Consultant: M/s. SMS EnvirocareLimited , Pune, (MH).

1. The project is proposed for Expansion and Processing of Opium & Manufacturing of Alkaloids at Bungalow No. 57, Besides Ashish Bhavan Church, StationRoad, Dist. Neemuch (MP).
2. The Neemuch Opium Factory has been in operation since 1st April, 1935 and Alkaloid Works was inaugurated on 6th October, 1976. GOAW having valid CTO for Codeine Phosphate &Pholcodine IP from MPPCB vide Consent outward No. AWH-47146, validity till 30/09/2021, and Authorization up to 30/06/2022.
3. As per EIA Notification, 2006 and subsequent amendments, proposed expansion project falls under Category 5 (f) "Synthetic organic chemicals industry (bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, .other synthetic organic chemicals and chemical intermediates) and required prior Environmental Clearance.
4. Project is located in outside notified industrial area so that categorized under category 'A' project requires environmental clearance from Ministry ofEnvironment, Forests and Climate Change (MoEFCC), New Delhi. Standard Term of Reference(ToR) approved by MoEF&CC vide File No. No.IA-J-11011/90/2018-IA-II(I), dated, 24th May 2018for baseline environmental studies and preparation of Environmental Impact AssessmentReport.
5. Earlier the Project was categorized under "A" Category but considering the recent MoEFCC, SO No. 1223 (E) dated 27th March, 2020 stated "All proposals for projects or activities in respect of Active Pharmaceutical Ingredients (API), received up to the 30th September 2020 & its amendments 16.07.2021 shall be appraised, as Category 'B2' projects.
6. There are no Forest, Biosphere Reserve,National Park, Wild Life Sanctuary, and Wild Life Corridor present within 10 km InfluenceZone.
7. Site is geographically located at 500 m MSL, Latitude: 24°27'28.1"N, Longitude: 74°51'38.3"E. Theexisting land is used for industrial purpose.
8. The case was considered in 545th SEAC meeting dated. 29.01.2022 and recommended for environmental clearance.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. After the recommendation today the case was scheduled for discussion and recorded that :-

   i. Total area of plot is 57000 sq.m. is in possession of Govt. Opium & Alkaloid works and no additional land is required for the proposed expansion. Regarding land documents PP has submitted letter dated 25.11.2017 issued by CMO, Municipal Council, Neemuch in which it is mentioned that the said land is under possession of Opium and Alkaloid Works, Ministry of Finance Department of Revenue,GoI.

   ii. Project Detail:

<table>
<tr><td>Production Capacity</td><td>Alkoids quantity in tons/annum
Existing :8.4
Proposed: 21.6
Total: 30.0</td></tr>
<tr><td>Product List</td><td>
<table>
<tr><td>S.No.</td><td>Name of Products</td><td>Quantity/year</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Codeine Phosphate</td><td>20000 kg</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pholcodine IP</td><td>500 kg</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Morphine BPC Intermediate for Codeine Phosphate and Morphine Sulphate.</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Morphine Sulphate</td><td>800 Kg</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Codeine IP Intermediate for Codeine Phosphate</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Thebaine IP</td><td>1200 kg</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Narcotine</td><td>5500 kg</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Papavarine</td><td>2000 kg</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>30000 kg= 30MT/Year</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Water Requirement</td><td>Existing: 82.0 KLD
Proposed : 192.0 KLD
Total water requirement :274 .0 KLD
Source: NeemuchNagarpalika PP has submitted bills paid to Municipal Council Neemuch for water supply</td></tr>
<tr><td>Waste water generation</td><td>Main source of waste water generated from the process, washing cooling and boiler blow down. Currently 19.0 KLD wastewater is generated and after expansion additional 40.0 KLD wastewater will be generated
Total 59.0 KLD wastewater will be generated after expansion of project</td></tr>
<tr><td>Power Requirement</td><td>Total Power Requirement:450 kVA
Demand Load: 256 KVA
DG Set: 1 nos. of D.G. Set of 475.5 KVA
Source:MPPaschim Kshetra Vidyut Vitran Co. Ltd.</td></tr>
<tr><td>Fuel requirement</td><td>Furnace Oil for Boiler: 170.0 Lit/hr
HSD for DG set: 8.0 Lit/hr
Source: BPCL, Mangliya Depot, Indore Local petrol pump</td></tr>
</table>

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Boiler (2Nos.)	1.5 TPH Capacity each Furnace Oil Fired based For the proposed expansion 2.5 TPH Boiler will be installed and after that 1.5 TPH boiler will be dismantled.
Green belt development	Total 57,000 Sq. m area is in possession for proposed project. Out of this, 19,000 Sq. m area is earmarked for green belt development.
Project Cost	21.0 Crore
EMP Cost	Capital cost:125.0 Lakhs Running Cost:72.0 lakhs

iii. PP has identified total 21 Lacks (1.0 %) of total capital project cost towards CER initiatives.The company will seek suggestions from concerned department of District Collector Office, Neemuch for identification of more areas for implementation of variousother infrastructure activities for the overall development of the District, both at Village and City levels. Further, the will be implemented as per the local requirements and in consultations/suggestions from the concerned department of District Collector Office.

Hence It is decided to accept the recommendations of 545th SEAC meeting dtd 29.01.22 and accord Prior Environmental Clearance for proposed Expansion in Processing of Opium &Manufacturing of Alkaloids in the factory at Station Road, Dist. Neemuch (MP). Existing capacity of production: 8.4MT/year, Proposed Enhancement Capacity – 21.6 MT/Year, (hence, total capacity 30.0 MT/Year) Land Area – 57,000 sq.mby M/s. Opium and Alkaloid Works, Ministry of Finance, Department of Revenue, at Station Road, Dist. Neemuch, MP - 458441subject to following specific conditions imposed by SEIAA:-

1. The entire demand of fresh water should be met through Municipal council, Neemuch and there should be no extraction of ground water.
2. No additional land shall be acquired/used for any activity of the project without obtaining proper permission.
3. This environmental clearance is issued subject to implementation of online air monitoring facility equipment, waste water management odour management and noise management system. PP should ensure to efficiency of the pollution control measurement should not be less than 99%.
4. PP to include carbon foot print in the Environmental Monitoring and set targets for reduction of their footprint in the management systems.
5. **Waste Water Management**

   (a) PP should ensure "Zero effluent discharge" from the unit by 100% recycling. The water softening reject, boiler blow down reject and cooling blow down will be

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

treated in ETP. Further treated waste water will go through the RO and finally re used / recycled in the process and unused waste water evaporates in MEE.

(b) RO and MEE should be provided for treatment of high COD waste streams and only in case of emergency/breakdown high COD wastes should be disposed off through CTSDF, Pithampur, Dhar.

(c) The sludge generated from the ETP should be disposed-off to ACC Limited (Kymore Cements Works) for co-processing as proposed

6. **For Air Pollution Management:**

(a) PP should ensure regular Stack monitoring & Ambient air quality monitoring and should be carried out as per the guidelines/norms of MPPCB/CPCB.

(b) In plant control measures for checking fugitive emission from all the vulnerable sources shall be provided. Fugitive emission shall be controlled by providing closed storage, closed handling & conveyance of chemicals/materials, multi cyclone separator/bag filters and water sprinkling system.

(c) Company shall carry out the HAZOP study and report shall be submitted to ministry MoEF& CC Regional Office, Bhopal.

(d) To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. Sulphur content should not exceed 0.5% in the coal/CNG for use in coal/CNG fired boilers to control particulate emissions within permissible limits (as applicable). The gaseous emissions from the boiler, DG set shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines.

(e) For control of fugitive emission and VOCs following steps should be followed:-

- Chilled brine circulation system shall be provided and it should be ensured that the solvent recovery efficiency is not be less than 95%.
- Reactor and solvent handling pump shall be provided with mechanical seal to prevent leakage.
- Solvent shall be taken from underground storage tank to reactor through closed pipeline. Storage tank shall be vented through trap receiver and condenser operated on chilled water.

7. **Odour Management:**

(a) Nozzles, sprayers and atomizers that spray ultra-fine particles of water or chemicals should be used along the boundary lines of area sources to suppress odours

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(b) Odorous air streams frequently contain high concentration of moisture. PP should ensure to use Mist filters for this purpose so that mist filter can remove solids and liquids from gas stream.

(c) Regular transportation of Sludge and other odor producing material to CHWTSDF

(d) Proper storage of chemical, solvent to avoid direct contact of sunlight

(e) Personal Protective Equipment should be provided to the workers while handling of chemical and raw material

(f) Thick green belt including small fragrance tree/shrubs should be planted .around the odor generating component of the project.

8. **Hazardous Waste Management:**

(a) As proposed above, PP should ensure disposal of hazardous waste regularly and there should be no dumping of these materials in the premises/outside.

(b) PP should ensure handling, disposal and management of hazardous waste as per the related prescribed rules.

(c) PP should obtain Renewal of authorization regularly from MPPCB for collection storage and disposal of hazardous waste (Management, Handling &Transboundary Movement) Rules 2008 and its amendments. Membership of the TSDF should obtain for hazardous waste disposal.

(d) Hazardous chemicals should be stored in sealed tanks, drums etc. Flame arrestors shall be provided on tanks. To avoid the spillage from processing unit, Industry shall provide fully mechanized filling and packaging operation unit.

(e) Ensure the transportation of raw / finished material only by covered vehicles.

(f) Ensure the storage and handling of all the chemicals in a proper and safe manner to avoid any spillages and also to prevent runoff contamination in monsoon.

(g) All necessary precautionary measures shall be taken to avoid any kind of accident during storage and handling of hazardous chemicals.

9. The overall noise levels in and around the plant are shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures, etc. on all sources of noise generation. The ambient noise levels shall confirm to the standards prescribed under Environment (Protection) Act, 1986 Rules, 1989.

10. **Green Belt Development:**

(a) PP should ensure plantation as proposed in an area of 19000sq.m. area by planting additional 5000 number of plants also.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(b) Green belt shall be developed & maintained around the plant periphery. Green Belt Development shall be carried out considering CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/ Agriculture Dept.

11. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures and energy efficient equipments.

12. In the event of failure of any pollution control system adopted by the unit, the unit shall be safely closed down and shall not be restarted until the desired efficiency of the control equipment has been achieved.

13. Total quantity of runoff water generated and green belt area should be collected in underground tank & used for process in plant to minimize fresh water requirement.

14. Double containment system shall be provided for all waste transport vehicles to avoid spillage. The spillage shall be cleared immediately.

15. Dedicated parking facility for loading and unloading of material should be provided in the factory premises.

16. PP should ensure the implementation of CER activities as per local requirements and in consultations/suggestions from the concerned department of District Collector Office to the extent of Rs. 21 lakh as proposed.

Sector	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	Total(in lakh)
Providing financial assistance for various infrastructure development activities at primary Govt. school, Ravatkheda, Neemuch	1	1	1	1	1	5
Providing financial assistance for various infrastructure development activities at primary Govt. school, sarjana, Neemuch	1	1	1	1	1	5
Providing financial assistance for various infrastructure development activities at Govt. school, GhasundiJagir, Neemuch	1.5	1.5	1	1	1	6
Avenue plantation as per consultation with local administration/Road side plantation	1	1	1	1	1	5
Total (in lakh)	**4.5**	**4.5**	**4**	**4**	**4**	**21.00**

17. PP should prepare off-site and on-site emergency plans and carry out mock drills in consultations and coordination with the District Administration and as per safety rules of the Industrial Health and Safety.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

18. Regular mock drills for the on-site emergency management plan shall be carried out. Implementation of changes / improvements required, if any, in the on-site management plan shall be ensured.

13. **प्रकरण क्र. 8810/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री निशांत जायसवाल आत्मज श्री अरविंद जायसवाल, निवासी– भिकनगांव, जिला खरगौन (म.प्र.) –451332 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 5044 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 152/1, ग्राम – मोहद, तहसील–झिरनिया, जिला –खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) **की 698 वी बैठक दिनांक 28.12.2021 के निर्णयानुसार एवं** SEAC की 531वीं बैठक दिनांक 06.12.2021 तथा 545 वी बैठक दिनांक 29.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन के एकल प्रमाण पत्र क्र 2177 दिनांक 17.09.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, सड़क, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, चिकित्सालय इत्यादि नहीं होना बताया गया है एवं 150 मीटर पर नदी होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खनन क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर एक पक्की सड़क होना परिलक्षित है। चूँकि माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में पारित आदेश एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों दिनांक 09.07.2020 के परिपालन में मानव बसाहट/संवेदनशील क्षेत्र/राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग/पब्लिक रोड़/पुल/बांध/नदी/नहर इत्यादि में प्रस्तावित खनन क्षेत्र से नॉन ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 100 मीटर और ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 200 मीटर की प्रतिबंधित दूरी निर्धारित है, जिसे मान्य करने पर न्यूनतम खनन क्षेत्र उपलब्ध नहीं होना परिलक्षित है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श कर सर्व सम्मति से उपरोक्त आदेश को मान्य करते हुये उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. **Case No 7817/2020**:Prior Environment Clearance for propsed project expansion in manufacturing of synthetic Resins and other edible and non-edible based Products at Khasra No. 55/1/3-C, New Palasia, Village: Raokhedi, Post: Mangaliya, A.B. Road, Tehsil: Sanwer, District: Indore, Madhya Pradesh – 453771. Land area – 10436 sq. m. Production Capacity: 17400 MT/Annum (Existing - 2083 MT/Annum Propsed 15317 MT/Annum)by M/s. ViscusOilPvt. Ltd. Khasra No. 58, Village: Raokhedi, Post: Mangliya, A.B. Road, Tehsil: Sanwer, District: Indore,(MP).

1. The project is proposed for expansion in manufacturing of synthetic Resins and other edible and non-edible based Products at Khasra No. 55/1/3-C, New Palasia, Village: Raokhedi, Post: Mangaliya, A.B. Road, Tehsil: Sanwer, District: Indore, Madhya Pradesh.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. The geographical Co-ordinates of the site areLatitude 22°49'49.08"N Longitude: 75°56'15.39"E
3. M/s. Viscus Oil Pvt. Ltd. is working Unit is engaged in manufacturing of AlkaliRefined, Rosin Gum, Soya Lectin, Stand Oil, (Stand + Vispol + DCO + DBLO)and Synthetic Resin (Alkyd + Phenolic + Polyester) with production capacity of2083 MT/Annum established prior EIA Notification, 2006.
4. The Unit is engaged in manufacturing of Synthetic Resin &Stand Oil with cumulative capacity of of 2820 MT/year. Unit has valid consent under the different Environmental Act issued by MPPCB(CTO order no. AW-88409, valid up to 28.05.2022.
5. Now, unit proposed to drop 2 products i.e. Rosin Gum, Soya Lectin and proposedto increase quantity of remaining existing products along with addition of onenew product - Vegetable Oil Ester. After expansion, total capacity will be increased up to 17400 MT/Annum. Terms of Reference was issued by SEAC, MPon 06.10.2020.

Sr. No.	**Name of Products**	**Quantity (MT/Annum)**		
		Existing (As per CCA)	**Proposed addition**	**Total after expansion**
1.	Alkali Refined	675	3525	4200
2.	Rosin Gum	333	-333	00
3.	Soya Lectin	200	-200	00
4.	Stand Oil (Stand + Vispol + DCO+ DBLO)	675	3525	4200
5.	Synthetic Resin (Alkyd + Phenolic + Maleic + Polyester)	200	6400	6600
6.	Vegetable Oil Ester	0.0	2400	2400
Total		**2083**	**15317**	**17400**

6. The proposed project is covered under 5 (f) category (B) of the schedule of EIA Notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O.1533 (E), dtd. 14.09.2006 and its amendments, hence is required to obtain prior EC.
7. There is no interstate boundary within 05 km and no National Park / Sanctuary within the 5 km of the project area hence the general conditions are not attracted.
8. Public Hearing for the proposed project was conducted on 26June 2021at the project site Villzage- Post- Raokhedi, Mangaliya,A.B. Road,Tehsil-Sanwer, Distt- Indore under the Chairmanship of Add Collector, Indore. Some issues regarding, environment pollution and employment to local people were raised during the Public Hearing which were addressed by PP.
9. The case was discussed in SEAC meetings 463 SEAC meeting dated 01-10-20 wherein ToR was recommended and TOR issued on 06-10-20 valid till 30-09-24.Accordingly EIA report submitted by PP forwarded to SEAC on17.08.2021. After

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

submission of EIA report the case was considered in 534 SEAC meeting dated 15-12-21and 545 SEAC meeting dated 29-01-22 and recommended for EC.

10. After recommandation of SEAC, today the case was Schedule for discussion and recorded that :-

(i). Existing unit and proposed expansion will be in the same plant premises. The total land area of the project is 10436 sq. m.Regarding land documents PP has submitted Khasra Panchsala 2020-21.As per the khasra panchsala the land is under possession of M/s Viscus Oils Pvt. Ltd.

(ii). The water requirement for the project is estimated as 25.0 m3 /day, out of which 20.0 m3/day of fresh water requirement will be obtained from the Tankers from outside and the remaining requirement of 5.0 m3/day will be met from RO permeate.

(iii). After expansion, total industrial wastewater generation will be 6.2 (Process – 4.2 KLD, Cooling– 1.0 KLD and Boiler 1.0 KLD). Domestic sewage generation will increase from 2.5 KLD to 4.0 KLD.

Total industrial effluent will be taken to ETP. After Treatment, treated effluent will be sent to RO, RO permeate will be reused in process and RO reject will be evaporated in Kettle type Evaporator. Thus unit is achieving Zero Liquid Discharge. Hence no Industrial Effluent will be disposed off anywhere. Domestic wastewater (4.0 KLD) will be disposed to soak pit.

(iv). At present, main source of flue gas emission is from Boiler (1.0 TPH), Thermic Fluid Heater (6 Lakhs kcal/hr.) and stand by D G Set (250 KVA). Coal/Agro Briquette and HSD are used as fuel. After proposed expansion, one source of flue gas emission Thermic Fluid Heater (10 Lakhs kcal/hr.) will be added. Coal/Agro Briquette will be used as fuel. There is no process emission from existing as well as from proposed expansion activities.

(v). The source of solid/hazardous waste generation will be Used oil, Discarded containers/drums, which will be handled & disposed as per the Hazardous & Other waste (Management &Transboundary Movement) Rules, 2016.PP has obtained Membership from RamkyEnviro Engineering Ltd. for disposal of hazardous wast.

(vi). The power requirement for the project is estimated as 250 kVA, out of which 250 kVA will be obtained from the M.P. Paschim Kshetra Vidhyut Vitaran Company Limited, Indore.

(vii). 3445 sq.m area which will be 33% of total land area of project area will be proposed for green belt development.

(viii). The capital cost of the project is Rs. 8.58 Crores (Existing Rs. 683 lakhs + Proposed Rs. 175 lakhs) and the capital cost forenvironmental protection measures isproposed as Rs. 0.33Crores. The annualrecurring cost towards the environmental protection measures is proposed as Rs.0.12 Crores.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(ix). Under CER activities PP has proposed Rs. 02.00 Lakh (1.0% of project expansion cost) and for different activities as follows:

SN	Activities	Years (Rs. In Lakhs)	Total Budget (Rs. In Lakhs)
		1st Year	
1.	Educational Activities (Award to Scholar students of School of Raokhedi Village.	0.5	0.5
2.	One health camp during monsoon season	1.0	1.0
3.	Trees Plantation along the road side of village	0.5	0.5
	Total	2.0	2.0

Hence It is decided to accept the recommendations of 534th SEAC meeting dated 15.12.21and 545th SEAC meeting dated 29.01.22 and accord Prior Environmental Clearance for proposed expansion in manufacturing of synthetic Resins and other edible and non-edible based Products at Khasra No. 55/1/3-C, New Palasia, Village: Raokhedi, Post: Mangaliya, A.B. Road, Tehsil: Sanwer, District: Indore, Madhya Pradesh – 453771. Land area – 10436 sq. m. Production Capacity: 17400 MT/Annum (Existing - 2083 MT/Annum Propsed 15317 MT/Annum)by Managing Director ,M/s. Viscus Oil Pvt. Ltd. Khasra No. 58, Village: Raokhedi, Post: Mangliya, A.B. Road, Tehsil: Sanwer, District: Indore,(MP) subject to following specific conditions :-

1. The entire demand of fresh water should be met through Private tankers. In future if it will be through Borewell PP should obtain permission from CGWB.
2. PP should ensure "Zero effluent discharge" from the unit by 100% recycling. The water softening reject, boiler blow down reject and cooling blow down will be treated in ETP. Further treated waste water will go through the RO and finally re used / recycled in the process and unused waste water evaporates in MEE.
3. No additional land shall be acquired/used for any activity of the project without obtaining proper permission.
4. This environmental clearance is issued subject to implementation of online air monitoring facility equipment, waste water management odour management and noise management system. PP should ensure to efficiency of the pollution control measurement should not be less than 99%.
5. PP to include carbon foot print in the Environmental Monitoring and set targets for reduction of their footprint in the management systems.
6. **For Air Pollution:**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(a) PP should ensure install Bag house in stack for control of air pollution and stack height should be increase to 30 m as per norms.

(b) The performance of air pollution control system should be regularly monitored and maintained.

(c) PP should ensure regular Stack monitoring & Ambient air quality monitoring and should be carried out as per the guidelines/norms of MPPCB/CPCB.

(d) In plant control measures for checking fugitive emission from all the vulnerable sources shall be provided. Fugitive emission shall be controlled by providing closed storage, closed handling & conveyance of chemicals/materials, multi cyclone separator/bag filters and water sprinkling system.

(e) Dust suppression system including water sprinkler system/ fogging arrangement shall be provided at loading and unloading areas to control dust emission.

(f) Fugitive emission in the work zone environment, product, raw material storage areas etc. shall be regularly monitored.

(g) Transportation of raw material and finished goods should be carried out in covered trucks.

7. **Hazardous Waste Management:**

(a) PP should ensure disposal of hazardous waste regularly and there should be no dumping of these materials in the premises/outside.

(b) PP should ensure handling, disposal and management of hazardous waste as per the related prescribed rules.

(c) PP should obtain Renewal of authorization regularly from MPPCB for collection storage and disposal of hazardous waste (Management, Handling & Transboundary Movement) Rules 2008 and its amendments. Membership of the TSDF should obtain for hazardous waste disposal.

(d) Hazardous chemicals should be stored in sealed tanks, drums etc. Flame arrestors shall be provided on tanks. To avoid the spillage from processing unit, Industry shall provide fully mechanized filling and packaging operation unit.

(e) Ensure the transportation of raw / finished material only by covered vehicles.

(f) Ensure the storage and handling of all the chemicals in a proper and safe manner to avoid any spillages and also to prevent runoff contamination in monsoon.

8. The overall noise levels in and around the plant are shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures, etc. on all sources of noise generation. The ambient noise levels shall

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

confirm to the standards prescribed under Environment (Protection) Act, 1986 Rules, 1989.

9. **Green Belt Development:**
    (a) 3445 sq.m.Plantation in the project area of indigenous local varieties like Neem, Peepal, Kadam and Kachnaar.
    (b) The green belt of the adequate width and density preferably with local species along the periphery of the plot shall be raised so as to provide protection against particulates and noise.
10. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures and energy efficient equipments.
11. In the event of failure of any pollution control system adopted by the unit, the unit shall be safely closed down and shall not be restarted until the desired efficiency of the control equipment has been achieved.
12. Total quantity of runoff water generated and green belt area should be collected in underground tank & used for process in plant to minimize fresh water requirement.
13. Double containment system shall be provided for all waste transport vehicles to avoid spillage. The spillage shall be cleared immediately.
14. Vehicles should prominently display complaint numbers for use of public as well as antidotes to any toxic waste.
15. Process effluent/any waste water shall not be allowed to mix with storm water. Storm water drain shall be passed through guard pond.
16. Dedicated parking facility for loading and unloading of material should be provided in the factory premises.
17. PP should ensure the implementation of CER activities to the extent of Rs. 2.0 lakh as committed during presentation on regular basis in consultation with Gram Panchyat, Raokhedi.
18. The inputs given by the participants during Public hearing should be properly redressed. All the promises and assurances made during the public hearing shall be fulfilled completely by the Project proponent.
19. PP should obtain NOC /approval from competent authority for health & safety measure, Onsite & Offsite disaster management, and Risk management plan before commencing the operation of the unit.
20. Regular mock drills for the on-site emergency management plan shall be carried out. Implementation of changes / improvements required, if any, in the on-site management plan shall be ensured.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

15. प्रकरण क्र. 8811/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री दिग्विजय सिंह आत्मज श्री रघुवीर सिहं, निवासी 166, प्रताप नगर, रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.)–457001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 18240 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 117/1, ग्राम लुनेरा, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 एवं 534वी बैठक दिनांक 15.12.2021 में उक्त प्रकरण की मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2400 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम लुनेरा के शासकीय प्राथमिक स्कूल में दो कम्प्यूटर, 01 प्रिन्टर एवं 05 टेबल व कुर्सी मुहैया कराई जाये एवं 02 सोलर लाईट स्थापित की जायें।
- ग्राम लुनेरा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री दिग्विजय सिंह आत्मज श्री रघुवीर सिहं, निवासी 166, प्रताप नगर, रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.)–457001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क्षमता 18240 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 117/1, ग्राम लुनेरा, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्र. 5151 दिनांक 17.11.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैंद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैद्यता दिनांक 16.11.2031 तक मान्य रहेगी।

16. प्रकरण क्र. 8764/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री सचिन दुगरवाल आत्मज श्री श्रीपाल जैन, निवासी 519, रिंगरोड़, तहसील जौरा, जिला रतलाम (म.प्र.)–457376 द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 1155, ग्राम झलावा, तहसील जौरा, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण सिया की 697वी बैठक दिनांक 27.12.2021 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया........

SEAC द्वारा उक्त प्रकरण में 180 मीटर पर Wind Mill परिलक्षित है जिसमें मापदण्ड अनुसार निर्धारित दूरी 300 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण प्रकरण को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 15.12.2021 को ई–मेल के माध्यम से कार्यालय जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी मंदसौर के अनापत्ति पत्र क्र. 232 दिनांक 15.12.2021 प्रस्तुत किया गया है, अतः उक्त प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण SEAC समिति के समक्ष पुनः परीक्षण हेतु भेजा गया था जिसे SEAC समिति द्वारा 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 में पुनः अनुशंसित कर SEIAA को प्रेषित किया गया।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं **SEAC** की 528वी बैठक दिनांक 23.11.2021 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा मान्य करते हुए विस्तृत विचार विमर्श एवं सर्व सम्मति से पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. 8807/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रेखा मेरावत पत्नि श्री जगदीश मेरावत, निवासी ग्राम खच्चरखेड़ी, तहसील–मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.150 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 14292 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 459, ग्राम – गड़वाड़ा तहसील–मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 एवं 531वी बैठक दिनांक 06.12.2021 में उक्त प्रकरण की मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक कार्य प्रतिबंधित रहेगा।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज पटटा क्षेत्र में स्थित जीवित पेड़ो को कटा नही जाये एवं उनका संरक्षण व रखरखाव किया जायें।**

IV. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1380 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम गड़वाड़ा के शासकीय प्राथमिक स्कूल का रंग रोगन कार्य किया जाये एवं खेल का मैदान को विकसित किया जाये।।
- ग्राम गड़वाड़ा के शासकीय प्राथमिक स्कूल मे 01 कम्प्यूटर एवं 01 प्रिन्टर लगाया जाये।
- ग्राम गड़वाड़ा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान एवं मास्क व सेनीटाइजर वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रेखा मेरावत पत्नि श्री जगदीश मेरावत, निवासी ग्राम खच्चरखेड़ी, तहसील–मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.150 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 14292 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 459, ग्राम – गड़वाड़ा तहसील–मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्र. 1149 दिनांक 26.08.2020 एवं पत्र क्र. 1129 दिनांक 22.09.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैंद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैद्यता दिनांक 25.08.2030 तक मान्य रहेगी।

18. प्रकरण क्र. 8847/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री मेंदु मेडा, आत्मज श्री नाथू मेडा निवासी ग्राम सेमलीपुरा, तहसील व जिला धार (म.प्र.) –454001 द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.214 हेक्टेयर,खसरा नम्बर 224 पैकी, ग्राम – नौगांव बुजुर्ग, तहसील व जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण सिया की 697वी बैठक दिनांक 27.12.2021 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया........

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खदान के दोनों तरफ (85 मीटर एवं 37 मीटर) पवनचक्की होना परिलक्षित है। अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार आदेश एवं निर्देशों के परिपालन में पवनचक्की से प्रतिबंधित दूरी (300 मीटर) के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि खनन योग्य क्षेत्र की न्यूनतम उपलब्धता के दृष्टिगत पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को प्रेषित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण SEAC समिति के समक्ष पुनः परीक्षण हेतु भेजा गया था जिसे SEAC समिति द्वारा 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 में पुनः अनुशंसित कर SEIAA को प्रेषित किया गया।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं **SEAC** की 531वी बैठक दिनांक 06.12.2021 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा मान्य करते हुए विस्तृत विचार विमर्श एवं सर्व सम्मति से पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. प्रकरण क्र. 8836/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अर्चना सुराणा, पत्नी श्री हितेश सुराणा निवासी ग्राम 20 राजमहल कॉलोनी, तहसील एव जिला –रतलाम (म.प्र.)–457001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 17100 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 13/3/2, ग्राम धबाईपाड़ा, तहसील एवं, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 एवं 531वी बैठक दिनांक 06.12.2021 में उक्त प्रकरण की मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से 50 मीटर प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC को ई–मेल दिनांक 14.02.2022 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के माध्यम से की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक कार्य प्रतिबंधित रहेगा।**

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2400 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम धबाईपाड़ा के शासकीय स्कूल की बिल्डिंग व मैन गेट की मरम्मत, पुताई एवं रंग रोगन कार्य किया जाये।
- ग्राम धबाईपाड़ा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अर्चना सुराणा, पत्नी श्री हितेश सुराणा निवासी ग्राम 20 राजमहल कॉलोनी, तहसील एव जिला –रतलाम (म.प्र.)–457001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 17100 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 13/3/2, ग्राम धबाईपाड़ा, तहसील एवं, जिला रतलाम (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क. 4782 दिनांक 17.09.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.09.2031 तक मान्य रहेगी।

20. प्रकरण क्र. 8770/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कियारा इन्फ्रा, श्री अनीस खान, पार्टनर, महान नं. 517, ई–7, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.)–462016 द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11760 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 03, ग्राम बरखेड़ा बोंदर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 एवं 531वी बैठक दिनांक 06.12.2021 में उक्त प्रकरण की मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2400 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम बरखेड़ा बोंदर के शासकीय हाईस्कूल में मेन गेट व डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाये एवं भवन की मरम्मत व रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम बरखेड़ा बोंदर के ग्रामवासियों को सौलर लालटेन, कूड़ादान वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कियारा इन्फ्रा, श्री अनीस खान, पार्टनर, महान नं. 517, ई–7, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.)–462016 द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11760 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 03, ग्राम बरखेड़ा बोंदर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के आदेश क्र. 4581 दिनांक 30.11.2019 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 29.11.2029 तक वैध मान्य रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

21. **प्रकरण क्र. 8838/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती उषा ठाकुर, पत्नी श्री लखन सिंह निवासी कनाईसांगवा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)–481882 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5016 घनमीटर प्रतिवर्ष, एरिया 1.0 हेक्टेयर, खसरा 27/2,ग्राम खाम्ही रैयत, तहसील एवं जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 एवं 531वी बैठक दिनांक 06.12.2021 में उक्त प्रकरण की मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिंरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **कार्यालय वन मंण्डल अधिकारी, समान्य वनमंडल, जिला डिंडौरी के पत्र क. 5114 दिनांक 27.11.2020 के अनुसार प्रस्तावित खदान वन सीमा नांरंगी वन कक्ष क ओ–1404 से 114 मीटर, तथा आर. एफ कक्ष क. 151 से 226 मीटर की दूरी पर स्थित है। अतः संभागीय आयुक्त, जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 28.11.2020 की गई अनुशंसा अनुसार वन क्षेत्र की सीमा की ओर फेन्सिंग व स्पस्ट मुनारों का निर्माण किया जाये एवं ओवरबर्डन वन क्षेत्र में एकत्रित न किया जाये खदान के सीमांकन का कार्य वनमंडलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एव खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जाये ।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं माननीय एनजीटी (Principle Bench) नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में **पक्की सड़क से 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 11.02.2022 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के माध्यम से की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक कार्य प्रतिबंधित रहेगा।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज पटटा क्षेत्र में जीवित पेड़ो को कटा नही जाये एवं उनका संरक्षण व रखरखाव किया जायें।**

V. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम खाम्ही रैयत के शासकीय प्राथमिक विद्यालय बिल्डिंग की मरम्मत, पुताई व रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम खाम्ही रैयत में ग्रामवासियों के सहयोग से 50 पेड़ (नीम, मौलसिरी, पुतरांजीवा, कदम, कचनार आदि) का रोपण ट्रीगार्ड के साथ स्कूल प्रांगण में किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती उमा ठाकुर, पत्नी श्री लखन सिंह निवासी कनाईसांगवा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)-481882 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5016 घनमीटर प्रतिवर्ष, एरिया 1.0 हेक्टेयर, खसरा 27/2,ग्राम खाम्ही रैयत, तहसील एवं जिला डिण्डौरी (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी के आदेश क. 432 दिनांक 21.10.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैद्यता दिनांक 20.10.2031 तक मान्य रहेगी।

22. प्रकरण क्र. 8741/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री मोहित माहेश्वरी आत्मज श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी, निवासी नारायण बाग के पास, छावनी, जिला आगर-मालवा (म.प्र.)-465441 द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकवा 4.00 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 478 पार्ट, ग्राम जामली, तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा (म.प्र.)-की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण सिया की 695वी बैठक दिनांक 09.12.2021 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया........

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) आगर-मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्र. 865 दिनांक 09.08.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, नहर, बांध, प्राकृतिक नाला, पब्लिक सड़क इत्यादि नहीं होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खनन क्षेत्र से पक्की सड़क 65 मीटर एवं प्राकृतिक नाला 87 मीटर पर होना परिलक्षित है। चूंकि माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में पारित आदेश एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों दिनांक 09.07.2020 के परिपालन में मानव बसाहट/संवेदनशील क्षेत्र/राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग/पब्लिक रोड़/पुल/बांध/नदी/नहर इत्यादि में प्रस्तावित खनन क्षेत्र से नॉन ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 100 मीटर और ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 200 मीटर की प्रतिबंधित दूरी निर्धारित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार आदेश एवं निर्देशों के परिपालन में बांध संरचना से प्रतिबंधित दूरी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि खनन योग्य क्षेत्र की न्यूनतम उपलब्धता के दृष्टिगत पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को प्रेषित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण SEAC समिति के समक्ष पुनः परीक्षण हेतु भेजा गया था जिसे SEAC समिति द्वारा 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 में पुनः अनुशंसित कर SEIAA को प्रेषित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श कर सर्व सम्मति से न्यूनतम उत्खखन क्षेत्र उपलब्ध न होने कि स्थिति में उपरोक्त आदेश को मान्य करते हुये उक्त पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. प्रकरण क्र. 8805/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री देवेन्द्र कुमार जैन आत्मज स्व. श्री रतन चंद जैन, निवासी हिमांचल गली, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.750 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 236/1, ग्राम – श्रीनगर भाटा, तहसील–टीकमगढ़, जिला टीकमगढ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 एवं 531वी बैठक दिनांक 06.12.2021 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

B. Query Response / Bank Guarantee Release/EC transfer के प्रकरण :

24. **Case No 5751/2018: Environmental Clearance for proposed Group housing** Project "Silver Estate Vertica" located at 60, 61, 62, 63, 64/1, and 66 Village- Katara Tehsil Huzur District Bhopal M.P. Plot Area - 16,700 sq.m. and built-up area is 27,033.28 sq.m. by Mr. NeerajBhushan, M/s Macker Real Venture, 501, 5th Floor, Ashima Corporate Zone, Ashima Mall, Hoshangabad Road, Bhopal- 462026 E-mail info@ mackerrealventures.com Telephone No. 405-3444, 6461989- **For release of Bank Guarantee**

The case was discussed in 691 SEIAA meeting dtd. 23.11.2021 and recorded that:-

1. ......"This is case of Building and construction project of Group Housing Project "Silver Estate Vertica" (Plot Area = 16700 sqm., Built up Area = 28451.33 sqm) Khasra No. – 60, 61, 62, 63, 64/1, 66/1, at Village - Katara, Tehsil - Huzur& Dist. Bhopal, (M.P.)
2. As per EIA Notification dated 14th September 2006 as amended to date, provide that all project under Item 8(a) shall be appraised as Category B and require environment clearance, However as the project is a violation project, and considered in SEAC/SEIAA with reference to the office memorandum dated 08thMarch 2018.
3. The project has been considered for appraisal in SEAC and recommended the EC (399th SEAC meeting dated 31.10.2019) subject to the special conditions and submission of bank gurantee (BG) with three years validity of Rs. 13.55 Lakhs (equivalent to amount proposed in remediation and resource augmentation plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA as per the procedure laid down in the MoEF&CC Notification dated 08/03/2018.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

..........."As per decision of 691 SEIAA meeting dtd. 23.11.2021 a reminder letter was sent to RO, MoEF& CC to know the status of implementation of the remediation plan and Natural and Community resource augmentation plan on the project site.

In response to above site visit monitoring report received from Scientist 'D' Regional office MoEF& CC, Bhopal on 07.01.2022. As per the monitoring report out of 110 conditions it was observed by the team that 30 are complied, 41 are agreed to comply, 32 are being complied, 06 are compliance in progress and 01 is partly complied. PP has taken care in compliance of the conditions and interested to follow the stipulation. PP has been advised to submit the compliance report against each of the conditions, regularly and PP has been further advised to take necessary and time bound regular actions for early compliance in respect of the relevant specific conditions for the project. However the compliance is up-to –date and satisfactory done and further needs improvement on the field.

PP actual expenses incurred toward Remediation Plan and Natural & Community Resource Augmentation plan has been verified by the PP's Charted Accountant as per following details:

Levelling & back filling	Rs. 45000/-
Tree Plantation	Rs. 253,750/-
Tree Plantation Area-B	Rs. 201,600/-
Tree Plantation Area- C	Rs. 151,650/-
Annual maintenance of plantation and garden (18-19)	Rs.216,000/-
Annual maintenance of plantation and garden (18-19)	Rs.216,000/-
Solar Lighting	Rs.250,000/-
Expenditure Incurred	**Rs. 1,388,250/-**

As per above, submission the case was discussed in detail & recorded that PP has implemented the proposed Remediation plan and Natural & community Resource Augmentation plan successfully by expending Rs. 13,88,250/- as certified by CA. PP has submitted Rs. 13.55 Lakhs (equivalent to amount proposed in remediation and resource augmentation plan). Hence it is decided that write a letter to MPPCB to release the Bank Gurantee amount Rs. 13.55/Lakh as submitted by PP and PP is instructed to ensure that violation of the Environment (Protection) Act should not be repeated in future. Compliance of all the directions / Judgment issued by NGT or other Courts shall be binding on part of the PP. As per monitoring report of Regional office MoEF&CC PP should strictly submit the compliance report against each of the conditions, regularly and take necessary and time bound regular actions for early compliance in respect of the relevant specific conditions for the project. Non furnishing of information is a violation under Section 10 of the EIA Notification, dated 14th September, 2006. Further, non-submission of compliance

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

report is also a violation of the environmental clearance and may attract appropriate action including revocation of EC".

25. **Case No. 8451/2021:** Prior Environment Clearance for Manufacturing of Bulk Drug & API Product havingcapacity of 578 TPA atMalanpurIndustrialGrowth Centre, Village - Malanpur, Tehsil - Gohad, Dist. Bhind, (MP) by M/s HeliosLifesciences Ltd, Shri Sunil Gandhi, Director, 17, Shree Ram Colony, Dist. Gwalior, MP - 474002 Regarding Transfer of EC in the name of M/s DeftOrganics Limited, 17, Shree Ram Colony, Gwalior (MP)-474009

The case wasdiscussed in 696th SEIAA meeting dtd. 10.12.21 andrecordedthat :

(1). *EC has been issued to PP vide letter no. 1069 dtd 01.06.21*

(2). *Now Vide online proposal no. SIA/MP/IND3/235428/2021 received in SEIAA office on 18.11.21 PP has requested to transfer the Environment Clearance from M/s Helios Life sciences Ltd, to DEFT Organics Ltd.*

(3). *For the transfer of the name PP has submitted following supporting documents:-*

a) *An affidavit from Authorised Signatory, DEFT Organics Ltd regarding comply all the conditions stipulated in the prior Environmental Clearance letter no. 1069/SEIAA/2021 dated on 01.06.2021.*

b) *NoC from Existing Environmental Clearance holder (M/s Helios Lifesciences Ltd,).*

c) *Registered Declearation regarding land ownership .*

(4). *In this regard PP has requested to change the name in the Environmental Clearance with reference to above.*

(5). *The case was discussed in depth and it is noted that as per Para 11 of EIA Notification, 2006 "A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period:...."*

(6). ***The case was discussed and It is decided that :-***

EC was issued by SEIAA dtd. 01.06.2021 but PP has not submitted six-monthly compliance report, hence it is decided that PP should submit compliance report.

In response to above PP has submitted compliance report on 07.01.2021 and further 08.02.2022 and PP stated that they have obtained EC in the June 2021 and no significant work has been done over the site till date. The application made for transfer of EC (dtd18.11.2021) and all supporting documents along with compliance report submitted by PP were examined and found satisfactory.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Hence, it is decided to grant permission for transfer of the EC issued in the name of M/s Helios Life sciences Ltd, at Malanpur Industrial Growth Centre, Village - Malanpur, Tehsil - Gohad, Dist. Bhind, (MP) for Manufacturing of Bulk Drug & API Product having capacity of 578 TPA, to Director Partners, *DEFT Organics Ltd.* for the above project, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period.

26. **Case No 8336/2021:**Prior Environmental Clearance for Proposed Residential cum commercial Multidwelling Units "A-One Height's" at Khasra no. 1400/1, 1404/1 and 1404/1464 Village - Khajrana, Tehsil & District - Indore (M.P.) Total Project Area – 36,430 sq.m. Built up Area – 138950 sq.m by By Shri Mahindra Kumar Jain , President, M/s Deep Jyoti Grah Nirman Sahkari Sanstha Maryadit, 1/1, NEW PALASIA, INDORE, M.P.,-452001 E-mail: deepjyoti grah nirman @gmail.com, Mob. No- 9713125599

The Case was discussed in 670 SEIAA meeting dated 27.03.21 and recorded that:-

(1) *This is case of Prior Environment Clearance for construction of Proposed construction of residential cum commercial units"A-One Height's" at khasra no. 1400/1, 1404/1 and 1404/1464 Khajrana, Tehsil &, District- Indore, Madhya Pradesh.The project proponent is Shri Mahindra Kumar Jain , President, M/s Deep JyotiGrahNirmanSahkariSansthaMaryadit.*

(2) *The project includes Residential Units 940(1BHK- 200, 2 BHK- 500, 3 BHK- 160, 4 BHK- 80)10 Showrooms 80 Shops and 88 Offices.*

(3) *As per the Joint Director T & CP (6034/INDLP-3494/17/Nagrani/2017I dated 30/06/2017) the total Plot Area – 3.645 (ha). The total built up area proposed by PP is 138950 sq.m. The project comes under 8 (a) category (B) of schedule of EIA Notification, 2006 because total construction is between 20,000 sq.m. & 1, 50,000 sq m. and plot area is less than 50 ha.*

(4) *The case was discussed in SEAC meetings 491SEAC meeting dated 18.03.2021 and is recommended for grant of prior EC subject to special conditions.*

(5) *Today the case was scheduled for presentation and after deliberation it is recorded that:-*

It is noted as per the land documents the land ownership is the name of M/s Deep Jyoti Grah Nirman Sahkari Sanstha Maryadit and the said society has applied for environmental clearance for development of residential as well as commercial project as per approval of T & CP (6034/INDLP-3494/17/Nagrani/2017I dated 30/06/2017). It is decided to take an opinion from District, Collector Indore whether Cooperative Housing Society can enter into the development of commercial project.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

In context of above reply is still awaited hence it is decided that case is hereby rejected and inform to PP and all concerned.

27. **Case No 8535/2021:** Prior Environment Clearance for the Project of Synthetic Organic Chemical (Pharmaceutical API and intermediates) manufacturing & R&D unit at Plot No. 8, Sector-III, Kheda Industrial Estate, Pithampur, Taluka& District- Dhar, MP -454775 Total Land area: 1,05,464 sq.m. Proposed Production Capacity- 137 MT/Annum by Mr. Ketan Shah, Chief Executive Officer, Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. Kheda Industrial Estate, Pithampur 15. Taluka& District- Dhar (MP) 454775 E-mail: biofilchemicals@yahoo.com Telephone No. : 8889912301

PP has withdrawn the application of environmental clearance from the Parivesh portal hence the case is hereby closed and informed to PP and all concerned.

C. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा :–

28. **प्रकरण क्र. 7875/2020 : परियोजना प्रस्तावक श्री त्रिलोक पटेल आत्मज श्री मधुसूदन पटेल, निवासी महाराजखेडी, बलखड़, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 253, ग्राम – बलखड़, तहसील–कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्रकरण SEIAA की 685 वी बैठक दिनांक 14.09.2021 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"..............After detailed discussion it was observed that as per Office of Collector (Mining Division), district Khargone vide order No. 1580/ Khanij/2019 dated 04.02.2019 the validity of lease is not clear. Hence it is decided that after receiving of lease sanctioned order/Agreement (with validity) the case will be considered for grant of Prior Environmental Clearance. Copy to PP

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 04.02.2022 को लीज अवधि के संबंध में लीज अनुबंध पत्र की प्रति अपलोड की गई है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

<u>खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–</u>

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonatoत) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावंक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–3

गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
5. परियोजना प्रस्तावंक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
9. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

15. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

16. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–4

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

11. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।

13. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

22. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

25. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

26. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष